संख्या-75/2022/272ई/23-11-2022/001-1-2-66-2019

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 **लखनऊ : दिनांक 20 अप्रैल, 2022**

विषय:- जनपद गोरखपुर में सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1) के चैनेज 98.975 से 125.00 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बार्डर तक) (लम्बाई 26.025 कि0मी0) मार्ग का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की जी0एस0टी0 की धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र संख्या-10395बी0जी0/7बी0-जी0एस0टी0/2021-22, दिनांक 26-03-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत मार्ग पर जी0एस0टी0 की धनराशि रू0 1336.65 लाख के आवंटन का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-66/2020/50ई/23-11-2020-1/2(66)/2019, दिनांक 06-02-2020 द्वारा विषयगत कार्य- जनपद गोरखपुर में सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1) के चैनेज 98.975 से 125.00 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बार्डर तक) (लम्बाई 26.025 कि0मी0) मार्ग का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य की लागत रू0 25094.90 लाख+जी0एस0टी0 (नियमानुसार देय) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। अत: उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 26-03-2022 के अनुक्रम में प्रश्नगत मार्ग निर्माण कार्य हेतु नियमानुसार देय जी0एस0टी0 की कुल धनराशि रू0 1336.65 लाख (रू0 तेरह करोड़ छत्तीस लाख पैसठ हजार मात्र) (जिसमें अनुदान संख्या-58 की धनराशि रू0 1053.15 लाख तथा अनुदान सं0-83 की धनराशि रू0 283.50 लाख सम्मिलित है) वित्तीय वर्ष 2022-23 में अवमुक्त किए जाने की निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यो की सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) प्रश्नगत कार्य पर अवमुक्त की जा रही जी0एस0टी0 की धनराशि का भुगतान नियमानुसार वास्तविकता के आधार पर किया जायेगा।

(4) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश संख्या-94/2016/484(1)/23-11-2015-1/2(253)/2015, दिनांक 31-03-2016 एवं पुनरीक्षण विषयक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-66/2020/50ई/23-11-2020-1/2(66)/2019, दिनांक 06-02-2020 की शेष शर्ते एवं प्रतिबंध यथावत लागू रहेंगी।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय (1) रूपये 10,53,15,000 (रूपये दस करोड़ तिरपन लाख पन्द्रह हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 058 लेखाशीर्षक 5054033370303 राज्य राज मार्गो के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण के चालू कार्यो हेतु व्यवस्था मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रूपये 2,83,50,000 (रूपये दो करोड़ तिरासी लाख पचास हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या083 लेखा शीर्षक 5054037890300 राज्य मार्गो के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण के कार्यो हेतु मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022, दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022, दिनांक 29 मार्च 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-75/2022/272ई(1)/23-11-2022/001-1-2-66-2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उ0प्र0 शासन।
9- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
10- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
11- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
12- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।